न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर 72/2024 प्रा.पत्र/2024 जीसीएमएस नं.–144/2024	तारीख दायरा 16.10.2024	तारीख निर्णय 05.12.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन निवासी बडे मन्दिर के पास भरनी तह. व जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गर्ग जनरल स्टोर धुंवा रोड भरनी तह. व जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9829119810

2–मैसर्स गर्ग जनरल स्टोर धुंवा रोड भरनी तह. व जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

3–श्री भीष्म कुमार सिन्धी पुत्र श्री किशन चन्द सिन्धी निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स वासुदेव किशन चन्द सबील शाह की चौकी कोटा रोड टोंक राज.। पिनकोड–304001

4–मैसर्स वासुदेव किशन चन्द सबील शाह की चौकी कोटा रोड टोंक राज.।

5–श्रीमति उमा अग्रवाल निवासी प्लॉट नं. 7 बाल निकुंज अम्बाबाडी जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स सिद्वी विनायक ट्रेडर्स दुकान नं. 6 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगौरी बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

6–मैसर्स सिद्वी विनायक ट्रेडर्स दुकान नं. 6 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगौरी बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री रोमेन्द्र गुर्जर उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 05/12/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2024 को समय 04:30 पी.एम. पर मैसर्स गर्ग जनरल स्टोर धुंवा रोड भरनी तह. व जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 10–12 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 250–250 ग्राम पैक **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 593 एवं पैकिंग की दिनांक 06.01.2024 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में रखे 250–250 ग्राम पैक में से 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** 250–250 ग्राम पैक के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में अलग–अलग ज्यों का त्यों रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी एयरटाईट किया प्रत्येक शिशी को कागज में लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4016 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4016 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री भैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री चौथमल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गर्ग जनरल स्टोर [illegible] तह. व जिला टोंक राज. ने बतौर वारन्टी मैसर्स वासुदेव किशन चन्द

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सबील शाह की चौकी कोटा रोड टोंक राज. का खरीद बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स वासुदेव किशन चन्द को पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स सिद्वी विनायक ट्रेडर्स दुकान नं. 6 शान्ति सदन वराह जी का चौक गणगौरी बाजार जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/462 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/1087/एक्ट/2024/1301 दिनांक 08.04.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रोमेन्द्र गुर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक